मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

पीठासीन अधिकारी :– *शैलेश सुराणा (RAS)*

उनवान
श्री फुला बनाम श्री वक्सी वगेरहा

धारा 53–188 आर टी एक्ट
नम्बर :–32/2014 रा.वा.
दिनांक :–25.06.2015

वादी की ओर से फूला की व प्रतिवादी की ओर से वक्सी व रतना की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.06.2015 को **शैलेश सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – मौजा गरनाला कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 के खाता नम्बर 194 कुल किता 32 रकबा 5.60 हैक्ट. कृषि भूमि में से वादी श्री फुला पिता हुरजी मीणा के खाते आ.नं. 1170/0.03 – 1207/0.13 – 1208/0.07 – 1211 मी./0.02 – 1215/0.12 – 1216/0.02 – 1217/0.13 – 1218 मी./0.10 – 1223 मी./0.06 . – 1224 मी./0.03 – 1225/0.30 – 1204/0.37 **कुल किता 12 रकबा 1.38 हैक्टे.** तथा प्रतिवादी श्री वक्सी पिता हुरजी मीणा के खाते नं. 1219/0.10 – 1220/0.11 – 4489/1224/0.03 – 4490/1218/0.44 – 4491/1223/0.20 4492/1225/0.13 – 1201/0.37 **कुल किता 7 रकबा 1.38 हैक्टे.** कृषि भूमि व प्रतिवादी श्री रतना पिता भेरा व मोकली पत्नि स्व. भेरा मीणा के खाते आराजी नं. 4493/1211/0.03 – 1212/0.08 – 1213/0.17 – 1215/0.10 –4495/1218/0.13 – 1221/0.01 – 1222/0.01 – 4496/1223/0. 4497/1224/0.26 – 4498/1225/0.67 – 1226/0.08 – 1229/0.03 – 1230/0.17 – 1234/0.02 – 1235/0.13 – 1236/0.06 – 1248/0.02 – 1197/0.01 – 1198/0.01 – 1199/0.02 – 1202/0.02 – 1236/0.36 **कुल किता 22 रकबा 2.78 हैक्टे.** कृषि भूमि के अलग–अलग खाते कायम किये जावे तथा आ.नं. 1205 रकबा 0.06 हैक्ट. भूमि रास्ता वादी व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त हिस्से में रहेगा। तदअनुसार मुताबिक डिक्री पीठासीन अधिकारी ऋषभदेव पालना करे।

दोनों पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 25.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

25/06/15

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव

उपखण्ड अधिकारी
ऋष. देव, जिला–उदयपुर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
दावा के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
अर्जी दावा के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
अर्जी के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
डिक्री पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0